परिपत्र सं0. 6/2017-सीमाशुल्क

फा.सं. 609/03/2017-डीबीके
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी, 2017

सेवा में,
प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक
मुख्य आयुक्त/ महानिदेशक
सीबीईसी के अधीन सभी प्रधान आयुक्त और
आयुक्त

महोदय/महोदया,

विषय:- प्रतिअदायगी योजना के अंतर्गत दिनांक 31.03.2014 तक की एलईओ तिथि के साथ निर्यातों हेतु बिक्री प्राप्ति की उगाही-प्रमाण के प्रति डीजीएफटी की ई-बीआरसी की स्वीकार्यता के संबंध में।

बोर्ड के परिपत्र सं0. 5/2009-सीमाशुल्क दिनांक 2.2.2009 जिसमें निर्धारित किया गया है कि एक दस्तावेज के रूप में बैंक उगाही प्रमाणपत्र (बीआरसी) जिसे निर्यातों हेतु बिक्री प्राप्ति की उगाही के प्रमाण के रूप में निर्यातकों द्वारा सीमाशुल्क को प्रस्तुत किया जाता है के प्रति ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इसके अलावा दिनांक 01.04.2014 से आगे एलईओ तिथि के साथ निर्यातों हेतु बिक्री प्राप्ति (आरबीआई-बीआरसी मॉड्यूल) की समाधान की एक इलैक्ट्रानिक प्रणाली को भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) के समन्वय में डीजी (प्रणालियों) द्वारा कार्यात्मक बनाया गया है जिसे अनुदेश सं0.609/59/2012-डीबीके दिनांक 27.11.2015 द्वारा पेश किया गया है।

2. क्षेत्रीय अधिकारियों और व्यापार द्वारा एक कठिनाई उजागर की गई है कि दिनांक 12.08.2012 से 31.03.2014 तक एलईओ तिथि के साथ निर्यातों हेतु, डीजीएफटी की ई-बीआरसी(जो डीजीएफटी वेबसाइट से निरीक्षण के योग्य भी है) को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और सांविधिक लेखापरीक्षक अथवा एडी बैंक से नकारात्मक वक्तव्य पर जोर दिया गया है, जो लेन-देन की लागत में जुड़ता है। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा डीजीएफटी के ई-बीआरसी का अनुमोदन न करना इस वजह से है कि इसमें "उद्ग्रहित मूल्य" ब्यौरा समाविष्ट है किंतु कमीशन, भाड़ा, बीमा आदि का ब्यौरा शामिल नहीं है जो प्रतिअदायगी उद्देश्य के लिए अक्सर संगत होते हैं।

3. उपर्युक्त के प्रकाश में, बोर्ड ने निर्णय किया है कि दिनांक 12.08.2012 से 31.03.2014 तक एलईओ तिथि के साथ निर्यातों हेतु, डीजीएफटी की ई-बीआरसी, सिवाय दुरूपयोग की विशिष्ट आसूचना अथवा सूचना के मामले में, स्वीकार होगी। ये डीजीएफटी ई-बीआरसी के पीछे निर्यातक द्वारा यथोचित उद्घोषणा के अध्यधीन होगा। उक्त उद्घोषणा का प्रारूप इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

4. अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु समुचित सार्वजनिक नोटिस और स्थायी आदेश को जारी किया जाए। परिपत्र के कार्यान्वयन में यदि कोई परेशानी हो तो उसे शीघ्र ही बोर्ड के नोटिस में लाया जाए।

भवदीय,

(दिपिन सिंगला)
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (प्रतिअदायगी)

प्रतिलिपि: अनुबंध (निर्यातक द्वारा दी जाने वाली घोषणा)

<u>अनुबंध</u>

डीजीएफटी के ई-बीआरसी के पीछे निर्यातक की घोषणा

(दिनांक 12.08.2012 से 31.03.2014 के एलईओ वाले प्रतिअदायगी शिपिंग बिल के लिए)

यह घोषणा की जाती है कि शिपिंग बिल सं. .....दिनांक..... से संबंधित बैंक वसूली (डीजीएफटी का ई-बीआरसी) के विवरण के अनुसार वसूली गई राशि उस सेल प्रोसीड्स के रूप में प्राप्त हुई है जो कि उक्त शिपिंग बिल जिस पर प्रतिअदायगी प्राप्त की गई थी के अंतर्गत निर्यात माल से संबंधित उस अवधि के अंतर्गत है जिसकी की अनुमति दी गई है (यदि ऐसी अवधि को बढ़ाया गया हो तो उसका प्रमाणपत्र संलग्न करें) और ऐसा वसूला गया सेल प्रोसीड्स, जो कि उक्त वसूले गए मूल्य में है, –

(क) प्रतिअदायगी के प्रयोजन के लिए मूल्य से कम नही है

या

(ख) प्रतिअदायगी के प्रयोजन के मूल्य से .....रूपये कम है। ब्यौरा इस प्रकार है..... रूपया भाड़े के रूप में, ... रूपया बीमा के रूप में, ...रूपया कमीशन के रूप में (12.5 प्रतिशत से अधिक)।..... रूपये प्रतिअदायगी के रूप में तथा ..... रूपये ब्याज के रूप में एतदद्वारा लौटाए जाते हैं।

((क) या (ख) में से जो लागू न हो उसे काट दें, खाली जगह जो लागू होती हो, को भरें)

निर्यातकर्ता का हस्ताक्षर, दिनांक और मुहर

आईईसी.....